फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

दमाराम बनाम उदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 253/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम चौरालिया, गोगाजी का मन्दिर व शहर पटवार मण्डल शहर तहसील गिडा में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त की भूमि बेचान करने एवं दखलअन्दाजी करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09.09.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा चौरालिया पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 133, 276, 153, 278 रकबा क्रमशः 327.02, 00.05, 88.00, 263.18 बीघा, मौजा गोगाजी का मन्दिर पटवार मण्डल शहर के खेत खसरा नम्बर 81, 100 रकबा क्रमशः 112.16, 25.00 बीघा एवं मौजा शहर के खेत खसरा नम्बर 315/189 रकबा 41.12 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का अग्रिम बेचान, रहन बय व मुन्तकिल नही करें। वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर [illegible] जवाब दिनांक 09.09.2019 को पेश हों। 7.8.2019 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:21:49 IST
Reason: SelfAttested

09/09/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-14 की ओर से वकील श्री रामाराम गोदारा द्वारा मूल वाद में वकील अधिवक्ता में वकालतनामा पेश कीया गया तथा उक्त आवेदन में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC का प्रस्तुत कीया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को इन्तजार शामिल पत्रावली कीया गया। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बाद तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 17/09/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

17/09/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-14 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बाद तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 25/09/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

25/09/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-14 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-14 की ओर से मूल वाद में वकील श्री नरपत पुनड़ द्वारा वकालतनामा पेश कीया गया। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बाद तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 03/10/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

03/10/19

14/10/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:21:49 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या- 14 के वकील उप०। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
16/10/19	प्रार्थी वकील अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या- 14 के वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज हो चुका है। इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का आवेदन इसी स्टेज पर खारीज कीया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:21:49 IST
Reason: SelfAttested